भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 182*

जिसका उत्तर 04 मार्च, 2020 को दिया जाना है

कोयले का उत्पादन

***182. श्री सुशील कुमार सिंहः**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने तथा कोयले का आयात कम करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान बंद की गई अथवा चालू वर्ष एवं आगामी तीन वर्षों के दौरान निष्कर्षण कार्य पूरा होने के उपरांत बंद की जाने वाली संभावित कोयला खानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खनन के नये क्षेत्रों की खोज के लिए कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2012–13 से वर्ष 2019–20 तक देश में निष्कर्षित इस्पात ग्रेड कोयले तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों द्वारा बेचे गये इस्पात ग्रेड कोयले का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या खानों को बंद किये जाने पर कामगारों को कोई मुआवजा दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने हेतु तय किये गये मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"कोयले का उत्पादन" के संबंध में श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा दिनांक 04.03.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 182* के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : वर्तमान आयात नीति के अनुसार कोयले को खुला सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा गया है तथा उपभोक्ता, लागू शुल्क के भुगतान पर अपने संविदागत मूल्यों के अनुसार अपनी इच्छा के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोकिंग कोयला के सीमित घरेलू उत्पादन को देखते हुए, इस्पात क्षेत्र द्वारा प्रयोग हेतु कोकिंग कोयले का आयात होता रहेगा। इसके अतिरिक्त, आयातित कोयले के आधार पर डिजाइन किए गए विद्युत संयंत्रों द्वारा आयातित कोयला एवं ब्लैंडिंग प्रयोजन हेतु आवश्यक उच्च ग्रेड के कोयले का भी देश में आयात किया जाएगा क्योंकि इसे घरेलू कोयले से पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। तथापि, कोयले की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि से कोयले के आयात में जो वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य 22.86% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर थी वह वर्ष 2014-15 से 2018-19 के मध्य घटकर 1.96% हो गई है।

सरकार ने भूमि अधिग्रहण में सहायता के लिए राज्य सरकार और कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे के साथ समन्वित प्रयास करते हुए अधिक कोयला ब्लॉकों के आवंटन के माध्यम से कोयले के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने पर बल दिया है।

कोयला क्षेत्र में वृद्धि हेतु हाल ही में उठाए गए कदम, जिनके परिणामस्वरूप कोयला उत्पादन में वृद्धि की संभावना है, निम्नानुसार हैं:

- कोयला खानों के आबंटितियों को निर्दिष्ट अंत्य उपयोग अथवा स्वयं खपत के लिए वास्तविक उत्पादन का 25% तक ऐसी बिक्री पर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के साथ खुले बाजार (आरओएम आधार पर) में बेचने, की अनुमति देने की पद्धति अनुमोदित की जा चुकी है और इस पद्धति के अंतर्गत वर्ष 2019 में 10 खानें आवंटित की गई हैं।

- खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 ने संयुक्त पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टा (पीएल-सह-एमएल) कि लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन को सक्षम बनाया है जिससे आवंटन हेतु कोयले/लिग्नाइट ब्लॉकों की इनवेंट्री में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

- खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रख्यापन द्वारा दोहरावपूर्ण और अनावश्यक प्रावधान, जिसमें केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, उन मामलों में भी जहां कोयला/लिग्नाइट का आवंटन या आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा स्वयं किया गया है, को समाप्त कर दिया गया है। इसमें कोयला/लिग्नाइट खानों के संचालन में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी।
- पहले, कोयला खान विशेष उपबंध (सीएमएसपी) की अनुसूची II और अनुसूची III खानें केवल उन कंपनियों को नीलाम की जा सकती थी जो निर्दिष्ट अंत्य उपयोग कर रही थीं। खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रख्यापन में केंद्र सरकार को

सीएमएसपी अधिनियम के तहत अनुसूची II और अनुसूची III कोयला खानों के अंत्य उपयोग का निर्णय करने में छूट मिली है। इससे स्वयं खपत, बिक्री या किसी अन्य प्रयोजनार्थ, जैसा भी केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, जैसे विभिन्न प्रयोजनार्थ अनुसूची II और अनुसूची III कोयला खानों की नीलामी में व्यापक भागीदारी होगी।

इसके अतिरिक्त, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने उच्च मशीनीकरण के साथ उच्च क्षमता वाली बड़ी खानों (क्षमता > 10 एमटीवाई) की योजना बनाई है और इन्हें कार्यान्वित किया है। सीआईएल ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त क्षमता विस्तार के लिए खानों/परियोजनाओं को अभिनिर्धारित किया है।
- परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए चालू परियोजनाओं की पोर्टल आधारित निगरानी।
- प्रचालन क्षमता में सुधार एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ओपनकास्ट खानों में सतही खनिकों को लगाना। वर्ष 2018-19 के दौरान सीआईएल में लगभग 50 प्रतिशत ओपनकास्ट कोयला उत्पादन सतही खनिकों के माध्यम से हुआ था।
- भूमिगत कोयला खानों में व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग: 2 खानों में पावर सपोर्ट लोंगवॉल प्रौद्योगिकी से तथा 11 खानों में सतत खनिक प्रौद्योगिकी से कार्य किया जाता है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बंद की गई एवं आगामी वर्षों में बंद की जाने वाली कोयला खानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी	क्र. सं.	बंद की गई खानों के नाम	निष्कर्षण कार्य पूरा होने के उपरांत बंद की जाने वाली कोयला खानों के नाम
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)	1	बेलबेड ओसी (डी)	मधुसूदनपुर यूजी
	2	महाबीर ओ.सी.	दाबोर ओसी
	3	मंडमान यूजी	
	4	रातीबाती यूजी	
	5	कुआरडी-तीरत यूजी	
	6	चकबलवपुर / बरमोंडिया ए यूजी	
	7	मलिकबस्ती ओसी	
	8	मोइरा यूजी	
	9	गोपीनाथपुर ओ.सी.	
	10	चिनकुरी I यूजी	

	11	जेमेहरी यूजी	
	12	कालीपहाड़ी यूजी	
	13	एस एस इंक्लाइन	
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	1	बुर्रागढ़ यूजी	
	2	कुजामा ओसी	
	3	एकीकृत जोयारामपुर कोलि. मिश्रित	
	4	लोहापट्टी यूजी	
	5	घनौडीह ओसी	
	6	बेरा ओसी	
	7	दामोदा ओसी	
	8	एकीकृत ब्लॉक IV- गोबिंदपुर कौली. यूजी	
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	1	कारो I यूजी	पिपरवार ओसी
	2	खास महल यूजी	डकरा ओसी
	3	सौंदा डी यूजी	
	4	सयाल डी यूजी	
	5	सिरका यूजी	
	6	अरगडा यूजी	
	7	रे- बाचरा यूजी	
	8	करगली यूजी	
	9	जारंगडीह यूजी	
	10	स्वांग यूजी	
	11	कुजू यूजी	
	12	टोपा यूजी	
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	1	एचएलसी नंबर 3 यूजी	झरना यूजी
	2	दोपटला ओसी	पौनी (योजना) ओ.सी.
	3	घुघुस ओसी	गौरी I और II विस्ता. स्कीम ओ.सी.
	4	मकरधोकरा -II ओ.सी.	शोभापुर यूजी
	5	रावनवादा खास यूजी	शिवपुरी का पैच विस्ता., सेठिया और बरखूही ओसी
	6	थेसगोरा यूजी	उमर विस्तार (अम्ब नदी चरण iv, ओसी
	7	भाजीपानी ओसी	सास्ती विस्ता. स्कीम ओ.सी.
	8	अम्बारा यूजी	
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	1	जमुना ओसी	भरतुंगा हिल यूजी
	2	गोबिंदा यूजी	पिनौरा यूजी

लिमिटेड (एसईसीएल)	3	नार्थ चिरिमिरी यूजी	महामाया यूजी
	4	कुआरसिया ओसी	बिसरामपुर ओसी
	5	सुराकछर 5 और 6 यूजी	कुम्दा यूजी
	6	नार्थ जेकेडी यूजी	बलरामपुर यूजी
	7	पालकीमारा यूजी	कपिलधारा यूजी
	8	बिरसिंगपुर यूजी	जमुना 9 और 10 यूजी
	9	कल्याणी यूजी	नौरोजाबाद (डब्ल्यू) यूजी
	10	दुग्गा ओसी	पाली यूजी
	11	धरम यूजी	बिजुरी यूजी
	12	मालगा यूजी	
	13	सोमना यूजी	
	14	बंकी मेन यूजी	
	15	धनपुरी यूजी	
	16	एनसीपीएच ओल्ड यूजी	
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी)	1		लेडो ओसीपी
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)	1	21 इंक्लाइन यूजी	
	2	जीडीके -5 इंक्लाइन यूजी	
	3	जीडीके -10 इंक्लाइन यूजी	
	4	डोरली ओसी-I ओसी	
	5		आरके -8 इंक्लाइन यूजी
	6		वीके -7 इंक्लाइन यूजी
	7		बीपीए ओसी-II विस्ता. ओसी

(ग) : कोयला मंत्रालय के अंतर्गत संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण के माध्यम से कोयला एवं लिग्नाइट की वर्ष-वार ड्रिलिंग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

आंकड़े लाख मीटर में

मद	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (जनवरी, 20 तक)**
कोयला एवं लिग्नाइट का संवर्धनात्मक अन्वेषण	1.39	1.12	1.05	1.35	1.39	0.98

(घ) : वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा बेचे गए इस्पात ग्रेड कोयले और सीआईएल द्वारा उत्पादित इस्पात ग्रेड कच्चे कोयले की कुल मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	**सीआईएल द्वारा बेचा गया इस्पात ग्रेड कोयला**	**सीआईएल द्वारा उत्पादित इस्पात ग्रेड कच्चे कोयले का वर्ष-वार ब्यौरा**		
		इस्पात ग्रेड I	इस्पात ग्रेड II	कुल इस्पात ग्रेड कोयला
2012-13	1.76	0.072	1.371	1.443
2013-14	0.76	0.061	0.604	0.665
2014-15	0.27	0.050	0.456	0.506
2015-16	1.09	0.036	1.051	1.087
2016-17	1.01	0.023	1.004	1.027
2017-18	0.18	0.155	0.051	0.206
2018-19	0.30	0.035	0.0	0.035
2019-20	0.13 @	0.016 #	0.081 #	0.097 #
@ जनवरी 2020 तक			***# दिसंबर, 2019 तक***	

(ङ.) : बंद की गई कोयला खानों के मामले में, कामगारों को उनकी हैसियत और ग्रेड में आस-पास स्थित अन्य कोयला खानों में लाभप्रद रूप से तैनात किया जाता है। इसलिए मुआवज़े के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

*****